



असम विश्वविद्यालय: सिलचर

सूचना

विषय: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत जंगली जानवरों को खाना खिलाने पर प्रतिबंध।

यह देखा गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में और उसके आस-पास जंगली जानवरों को खाना खिलाने की प्रथा उनके प्राकृतिक व्यवहार के लिए खतरा पैदा करती है, उनके खाने के तरीके को बाधित करती है, और एक खतरनाक मानव-पशु संवाद को जन्म दे सकती है। इसके अतिरिक्त, खाना खिलाने से वन्यजीव मानव-आबादी वाले क्षेत्रों में आने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं और संघर्षों का जोखिम बढ़ सकता है।

उपरोक्त के अवलोकन में:

1. विश्वविद्यालय परिसर में जंगली जानवरों को खाना खिलाना प्रतिबंधित है।
2. नियमानुसार, कोई भी व्यक्ति जंगली जानवरों को खिलाते हुए पाया जाएगा तो उसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत दंड दिया जाएगा, जिसमें जुर्माना या कारावास या दोनों शामिल हो सकते हैं। (अधिनियम की धारा 51: उत्त्लंघन के लिए जुर्माना और कारावास सहित दंड का प्रावधान करती है)।
3. जनता से आग्रह किया जाता है कि वे जंगली जानवरों को भोजन देने से बचें, क्योंकि इससे उनकी प्राकृतिक भोजन आदतें बाधित होती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र पर दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
4. वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार तथा असम विश्वविद्यालय परिसर के अधिकार क्षेत्र में वन्यजीवों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए, जंगली जानवरों को भोजन देना सख्त वर्जित है।

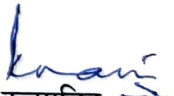
किसी भी जंगली जानवर को खाना खिलाना गैरकानूनी है और सभी से अनुरोध है कि वे परिसर में और इसके आसपास ऐसी गतिविधियों से बचें।

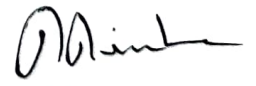
यह सूचना वन्यजीवों के संरक्षण और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के हित में जारी किया जाता है।

सं. एयू/डब्ल्यूईडीपी/ईएस-13/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. कुलपति के निजी सचिव को माननीय कुलपति के सूचनार्थ।
2. सभी संकायाध्यक्षों और विभागाध्यक्षों को छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों में प्रसारित करने हेतु।
3. छात्र कल्याण प्रमुख को छात्रों में प्रसारित करने हेतु।
4. सभी छात्रावास प्रमुख को छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों में प्रसार हेतु।
5. निदेशक, कम्प्यूटर सेंटर को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. असम विश्वविद्यालय, सिलचर के सभी अधिकारियों को सूचनार्थ।
7. असम विश्वविद्यालय, सिलचर के सभी कर्मचारियों को।
8. फाइल।


कुलसचिव प्रदोष किशण
दिनांक: 05 मार्च, 2025
नाथ


अनुभोग अधिकारी (संपदा)